सं0सं0-K/22/2026-SEC-8 UDHD DEPT 209

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

दिनांक- 12/10/26

विषय:-नगर विकास एवं आवास विभाग पटना अन्तर्गत विभागीय कार्यो हेतु नियुक्त Consultant Agency Inadev India Pvt. Ltd. (पूर्व में Optimize IT System Pvt. Ltd) द्वारा समर्पित विपत्र का भुगतान हेतु रू0 16,16,284/-(सोलह लाख सोलह हजार दो सौ चौरासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में e-Governance मद में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

विभागीय कार्यो में सहयोग करने तथा नगर निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु नियुक्त Consultant Agency Inadev India Pvt. Ltd. (पूर्व में Optimize IT System Pvt. Ltd) द्वारा 03 (माह) (09 मई 2026 से 08 अगस्त 2026) का रू0 16,16,284/-(सोलह लाख सोलह हजार दो सौ चौरासी) मात्र का विपत्र समर्पित किया गया है। उक्त कार्यो के लिए व्यय होने वाली राशि रू0 16,16,284/-(सोलह लाख सोलह हजार दो सौ चौरासी) मात्र में e-Governance मद में सहायक अनुदान व्यय के रूप में स्वीकृति दी जाती है।

2 उक्त स्वीकृति रू0 16,16,284/-(सोलह लाख सोलह हजार दो सौ चौरासी) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-236 दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जाएगी। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बुडा के पी0एल0 खाता सं0-PBBPLA015, HOA संख्या-00-8448-00-120-0035-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से ऑनलाईन हस्तांतरित किया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। बुडा द्वारा उक्त राशि Consultant

Agency Inadev India Pvt. Ltd. (पूर्व में Optimize IT System Pvt. Ltd) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकर, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-1496 दिनांक-22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागर में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी0भी0 नम्बर एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5 कुल स्वीकृति रू0 16,16,284/-(सोलह लाख सोलह हजार दो सौ चौरासी) मात्र की निकासी मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ, लघु शीर्ष-001, निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0101-ई0-गवर्नेस/नगरीय सुधार कार्यक्रमो एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु विपत्र कोड-48-2217050010101, विषय शीर्ष-31-06 सहायक अनुदान और-गैर वेतन के अन्तर्गत की जाएगी।

6 वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7 आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- K/22/2026-SEC-8 UDHD DEPT के Note#60 पर दिनांक-14.09.2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति Note#64 पर दिनांक-02.10.2026 को प्राप्त है।

8 इसकी सूचना अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- सं0सं0-K/22/2026-SEC-8 UDHD DEPT 209/ पटना, दिनांक- 12/01/26

प्रतिलिपि-अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, बुडा, पटना/विभागीय लेखा शाखा को 02 प्रतियों में/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 03, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।